

राजस्थान विधान सभा

नवम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

1- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2011-90 दिनांक 21.2.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2011-91 दिनांक 21.2.2012 जिसके द्वारा निदेशक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 2011 के लिये खरीदे गये भोजन एवं अन्य सामग्री पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/09-92 दिनांक 9.3.2012 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपने अंश पूंजी रुपये 29 करोड़ 17 लाख बढ़ाये जाने पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/09-93 दिनांक 12.3.2012 जिसके द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थओं से दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 से 30 अप्रैल, 2012 के मध्य लिये गये पुराने ऋण एवं नये लिये गये ऋणों के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(50)वित्त/कर/2011-94 दिनांक 13.3.2012 जिसके द्वारा मैसर्स रिगेन पावरटेक प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के उपयोग के लिये राज्य के बाहर से खरीदे गये माल को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/12-115 दिनांक 26.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.2(11)वित्त/कर/12-123 दिनांक 29.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन को उनके आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन एवं मेमोरेण्डम एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प इयूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.2(62)वित्त/कर/10-9 दिनांक 7.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.5(1)वित्त/कर/11-10 दिनांक 8.5.2012 जिसके द्वारा भूमि की विभिन्न श्रेणी की बाजार दर निर्धारित की गई है;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/11-11 दिनांक 17.5.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/12-98 दिनांक 26.3.2012 में संशोधन किया गया है;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(33)वित्त/कर/2012-12 दिनांक 21.6.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2007-145 दिनांक 9.3.2012 में संशोधन किया गया है;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-13 दिनांक 26.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा नॉन कन्वर्टेबल बाण्ड्स पर देय स्टाम्प इयूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/07-14 दिनांक 26.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी बाण्ड्स पर देय स्टाम्प इयूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/09-15 दिनांक 26.6.2012 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी सेल सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प इयूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2011-16 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि0 पाथरेड़ी, अलवर ऑटो कम्पोन्ट इकाई हेतु राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2010 के अन्तर्गत कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2011-17 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि0 पाथरेड़ी, अलवर को दिनांक 8.2.12 से कतिपय माल के क्रय को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2011-18 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज दिये जाने वाली एवं ऑटोमोबाईल कम्पोनेन्ट्स के निर्माण की पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्मित माल को राज्य के भीतर विक्रय पर कर के संदाय में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2011-19 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि० पाथरेड़ी, अलवर द्वारा निर्मित किये गये माल को विक्रय करने पर केन्द्रीय विक्रय कर में 0.25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)वित्त/कर/2004-20 दिनांक 5.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 4.5.2005 में संशोधन किया गया है;
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)वित्त/कर/2004-21 दिनांक 5.7.2012 जिसके द्वारा स्पिनफैड की हनुमानगढ़ इकाई के लिये उनके द्वारा देय विद्युत शुल्क में 5 वर्ष के लिये 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क की राशि से परिहार किया गया है;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.2(27)वित्त/कर/09-22 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.5(1)वित्त/कर/11-23 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.5(1)वित्त/कर/11-10 दिनांक 8.5.2012 में संशोधन किया गया है;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.2(5)वित्त/कर/2009-31 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के पक्ष में स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान की गई है;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.2(55)वित्त/कर/12-32 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल के पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की छूट प्रदान की गई है;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.2(55)वित्त/कर/12-33 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल के पट्टा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गई है;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(56)वित्त/कर/2012-34 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/10-35 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को उनके द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.2(49)वित्त/कर/12-36 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम को उनके द्वारा जारी नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.12(9)वित्त/कर/2012-38 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12 (63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.12(31)वित्त/कर/2012-40 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.12(31)वित्त/कर/2012-41 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा कम किये गये माल पर वैट दर में कमी की गई है;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.12(31)वित्त/कर/2012-42 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क में छूट दी गई है;
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2012-44 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2006-136 दिनांक 8.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 34- अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2012-45 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2012-46 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय किये गये माल पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) में कर दर कम की गई है;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2012-47 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये विद्युत उपयोग पर विद्युत शुल्क में कमी की गई है;
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2012-48 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8(5) के अन्तर्गत मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर में कमी की गई है;
- 38- अधिसूचना संख्या: एफ.12(145)वित्त/कर/2011-49 दिनांक 19.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
- 39- अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/09-50 दिनांक 26.7.2012 जिसके द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ दिनांक 1.5.12 से 31.3.2013 की अवधि के मध्य विद्यमान उधारों के लिये निष्पादित किये जाने वाले उधार करारी की लिखतों पर प्रभार स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है;

- 40- अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 26.7.2012 जिसके द्वारा जापानी निवेशकों द्वारा जापानी जोन में निर्मित माल पर केन्द्रीय विक्रय कर दर 0.25 प्रतिशत की गई है;
- 41- अधिसूचना संख्या: एफ.2(56)वित्त/कर/12-52 दिनांक 21.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय निकाय विभाग अथवा एन्टरप्राइजेज या एजेन्सी ऑफ दी स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट वेस्ट वाटर/सीवरेज ट्रीटमेन्ट, कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट कॉमन इफ्लूएंट या डिम्परायार्ड आदि पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है;
- 42- अधिसूचना संख्या: एफ.12(48)वित्त/कर/2012-53 दिनांक 21.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 43- अधिसूचना संख्या: एफ.12(48)वित्त/कर/2012-54 दिनांक 21.8.2012 जिसके द्वारा विज्ञापन के डिस्प्ले के लिये प्रयुक्त सामग्री पर वैट में छूट प्रदान की गई है;
- 44- अधिसूचना संख्या: एफ.12(40)वित्त/कर/2012-55 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किसी पंजीकृत ठेकेदार को की गई बिक्री पर देय टैक्स से छूट प्रदान की गई है;
- 45- अधिसूचना संख्या: एफ.12(40)वित्त/कर/2012-56 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के द्वारा उसके ठेकेदार को विक्रय किये गये माल पर कर में छूट प्रदान की गई है;
- 46- अधिसूचना संख्या: एफ.12(40)वित्त/कर/2012-57 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 47- अधिसूचना संख्या: एफ.12(94)वित्त/कर/2009-58 दिनांक 24.8.2012 जिसके द्वारा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (पीओडब्लू-II) को विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है;
- 48- अधिसूचना संख्या: एफ.12(153)वित्त/कर/2009-59 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा उद्योगों के लिये आरएसटी/सीएसटी स्कीम की शर्तों के भंग करने पर राजस्थान वैट अधिनियम के तहत देय कर में छूट दी गई है;
- 49- अधिसूचना संख्या: एफ.12(153)वित्त/कर/2009-60 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.14(8)वित्त/कर/98 दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है;
- 50- अधिसूचना संख्या: एफ.12(153)वित्त/कर/2009-61 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.14(8)वित्त/कर/98 दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है;

- 51- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/09पार्ट-62 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-37 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 52- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/09पार्ट-63 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-39 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है एवं
- 53- अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)वित्त/कर/2009-64 दिनांक 28.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

पंचायती राज विभाग

- 2- श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.(7)एम/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/930 दिनांक 2 मई, 2012, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2012-2013 समिति के 23वें एवं 24वें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेगी।

4. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 2012-2013 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2008-2009 पर मतदान एवं पारण

वर्ष 2012-2013 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें(प्रथम संकलन) एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2008-2009 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

5. विधायी कार्य

(अ) विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012

- राजस्थान विनियोग(संख्या-6)
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-28)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
"वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012

- राजस्थान विनियोग(संख्या-5)
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-27)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
"31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण
निधि (संशोधन) विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-36)

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-
"राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

राजस्थान भिखारियों या निर्धन
व्यक्तियों का पुनर्वास
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-24)

- (I) श्री अशोक बैरवा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-
"भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी**

**विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 11 अक्टूबर, 2012**